





विश्वविद्यालय अनुदान आयोग University Grants Commission

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार) (Ministry of Education, Govt. of India)

Prof. Manish R. Joshi

Secretary

D.O.No.2-5/2024(CPP-II)

16th February, 2024/ 27 माघ 1945

Subject: Publicizing New Criminal Laws, 2023

Respected Madam/Sir,

As you are aware, the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) replaces the Indian Penal Code; the Bharatiya Sakshya (BS) replaces the Indian Evidence Act; and the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) replaces the Code of Criminal Procedure. The BNS is a transformative judicial reform based on victim centric approach, providing witness protection and aims at fast and speedy delivery of justice with the use of technology etc. In this regard, flyers are being shared for use by HEIs for creating a sensitization amongst faculty and students about the BNS and its implications for ensuring timely justice.

The Higher Educational Institutions are requested to publicize the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 around the themes contained in the flyers attached and by carrying out campaigns by way of displays through standees, distributing flyers and organizing seminars and talks by lawyers, judges both serving and retired and their respective faculties in their institutions. Further, the HEIs are also requested to share details of activity undertaken to the Ministry of Education at email syed.rizwi@gov.in for its onward transmission to the Ministry of Home Affairs.

With kind regards,

Yours sincerely,

(Manish Joshi)

Encl: As stated above.

To

The Vice-Chancellors of all Universities The Principals of all Colleges/Institutes

CENTRAL DETECTIVE TRAINING INSTITUTE DETAILS

S.No	Name of CDTI	Address	Contact No.	E-Mail
1.	CDTI, Ghaziabad	Sector-19, Kamla Nehru Nagar, Ghaziabad, UP-201002	0120-2986732	pplcdtsgzb@bprd.nic.in
2.	CDTI, Chandigarh	Plot No.2, Sector-36A, Dakshin Marg, Chandigarh-160036	0172-2990211,2602216	cdts.chd@nic.in
3.	CDTI, Kolkata	Park Circus, 30, Gorachand Road, Kolkata, 700014	2284-1049,1184	cdts.kol.bprd@nic.in
4.	CDTI, Jaipur	Block A&B, Kendriya Sadan Parisar Sector 10, Vidhyadhar Nagar, Jaipur-302023	0141-2236098,2232873	director.cdti-rj@gov.in
5.	CDTI, Hyderabad	Ramanthapur, Between Hyderabad Public School & Doordarshan Kendra, Ramanthapur, Hyderabad- 500013	040- 29704170,27038182	cdtshyderabad@nic.in
6.	CAPT, Bhopal	Vidisha Bypass road, Near transport Nagar, Kokta, Village Kanhasiya, Bhopal	0755- 2706000	dir.capt@bprd.nic.in

Steps for publicity

- Designation of Nodal Officer for publicizing Bhartiya Nyaya Sanhita (BNS)
- Awareness Campaign through seminars and lectures by experts on various provisions of New Criminal Laws.
- Special awareness campaign for focused groups namely female (faculty, students and non-teaching staff) to address the relevant sections/chapter dedicated to offences against women and children in the new Bhartiya Nyaya Sanhita,2023) in line with victim centric approach.
- Focused Awareness on filing of e-FIR, provisions relating to first time offenders,
 Deshdroh, Community Service etc. shall also form part of publicity campaigns.
- Module on New Criminal Laws shall be included as part of Faculty Development Programme (FDP) to impart awareness of New Criminal Laws on ongoing basis.
- Awareness of New Criminal Laws through community outreach shall be ensured through legal aid committee functioning as part of Law department in HEIs or through NSS Volunteers in a tie-up with District Legal Services Authority.
- Web based publicity and use of platforms like Twitter, Facebook, and Instagram to raise awareness about the benefits of these laws, emphasizing improvements over the previous codes and also through distribution of flyers be undertaken.





Upholding Safety of Women and Children

Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) 2023 introduces a dedicated chapter on offences against woman and child

Stringent Punishment for Offenders

The Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) 2023 ensures strict penalties for crimes against women, with a focus on providing justice for victims of rape and sexual assault.

Enhanced punishment for offenders involved in heinous acts against women, emphasising the commitment to women's safety.

Offences against girls below 18 years of age face severe penalties, including life imprisonment or death sentence for exceptionally heinous cases.

Victim-centric Approach

New provisions ensure victims are heard before withdrawal of any case, thus recognising them as stakeholders in the legal process. Victims are given the right of being informed about the legal process. Section 199(c) of the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) has made failure to record any information in relation to certain sections such as rape, sexual assault against women, etc. given to a public servant a punishable offence.

procurement of children for labour or prostitution and buying or selling children for the purpose of prostitution. Sections 139(1),139(2), 141, 143(4), 143(5), 143(6), 144(1) BNS 2023 are sections dealing stringently against trafficking/maiming/importation of children.

Gender Neutrality and e-FIR

Various offences against woman and child have been made gender neutral in terms of both the victim and the perpetrator.

Victims can report offences by e-FIR. This aligns with the evolving socio-legal approach to empower victims to navigate the legal process without fear of stigma. This will contribute to the prompt reporting of such horrific crimes, which require immediate attention.

Victim's Right to Information

FIR Victims now have the right to obtain a copy of the FIR free of cost, ensuring transparency in legal proceedings. The law mandates informing victims about the progress of investigations within 90 days.







महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना

भारतीय न्याय संहिता, 2023 महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर एक समर्पित नया अध्याय पेश करता है

😭 अपराधियों के लिए कड़ी सजा

भारतीय न्याय संहिता 2023 बलात्कार और यौन उत्पीड़न के पीड़ितों को न्याय प्रदान करने पर ध्यान देने के साथ महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए सख्त दंड सुनिश्चित करता है। महिलाओं के खिलाफ जघन्य कृत्यों में शामिल अपराधियों के लिए सजा में वृद्धि, महिला सुरक्षा के लिए प्रतिबद्धता पर जोर। 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के खिलाफ अपराध के लिए गंभीर दंड का प्रावधान है, जिसमें सबसे जघन्य कृत्यों के लिए आजीवन कारावास या मौत की सजा शामिल है।

🞓 पीड़ित-केंद्रित दृष्टिकोण

नए प्रावधान यह सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी मामले को वापस लेने से पहले पीड़ितों की बात सुनी जाए, ताकि उन्हें कानूनी प्रक्रिया में भागीदार के रूप में मान्यता मिले। पीड़ितों को कानूनी प्रक्रिया के बारे में जानने का अधिकार प्राप्त है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 199 (सी) के अनुसार एक लोक सेवक को बलात्कार, महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न आदि जैसी कुछ धाराओं के संबंध में दी गई किसी भी जानकारी को रिकॉर्ड करने में विफलता दंडनीय अपराध है। की स्वरीद-फरोस्क्त को दंडनीय बनाती है। बीएनएस २०२३ की धाराएं १३९(१), १३९(२), १४१, १४३(४), १४३(५), १४३(६), १४४(१) बच्चों की तस्करी, अपंगता और आयात के खिलाफ सख्ती से निपटने का प्रावधान करती हैं।

्रि लिंग निरपेक्षता और ई-एफआईआर

विभिन्न यौन अपराधों को पीड़ित और अपराधी दोनों के संदर्भ में लिंग निरपेक्ष बना दिया गया है।

पीड़ित ई-एफआईआर द्वारा अपराध की रिपोर्ट कर सकते हैं। यह पीड़ितों को कानूनी प्रक्रिया में भयमुक्त होकर भाग लेने को सुनिष्टिचत करता है। इससे संगीन अपराधों की त्वरित सूचना प्राप्त होगी और इन पर त्वरित कार्रवाई हो सकेगी।

ቖ पीड़ित का सूचना का अधिकार

कानूनी कार्यवाही में पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए, पीड़ितों को अब मुफ्त में एफआईआर की एक प्रति प्राप्त करने का अधिकार है। कानून पीड़ितों को 90 दिनों के भीतर जांच की प्रगति के बारे में सूचित करने और उन्हें समय पर अपडेट के साथ सशक्त बनाने का आदेश देता है।







Witness Protection Scheme

Guardians of Truth: Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) 2023 Unveils the Shield of Witness Protection

Witnesses: Pillars of Justice, Voices of Truth

Witnesses play a pivotal role as the 'eyes and ears of justice,' guiding the court towards truth and justice. The law aims to protect witnesses from harm and ensure their safety.

Safeguarding Justice: Witness Protection Scheme

A significant stride: Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) 2023 introduces the Witness Protection Scheme, acknowledging the critical need to shield witnesses from threats and intimidation.

Responsive Legal Framework: Aligning with Judicial Observations

The State Governments are entrusted to prepare and notify a Witness Protection Scheme. A 'Witness Protection Scheme, 2018 has been drafted and endorsed by the Hon'ble Supreme Court in its judgment in Mahendra Chawla v UOI. They are aimed at guarding the society against criminal misconduct, deterring lawbreakers and penalising those who violate or attempt to violate laws, and protecting witnesses from harm and ensuring their safety.

Section 398: A Game-Changer in Witness Safety

This groundbreaking addition ensures that witness safety becomes an integral part of the criminal procedural framework whereby every State Government is mandated under Section 398 to prepare and notify a Witness Protection Scheme (WPS).

Witness Protection: Upholding the Right to

Upholding the Right to Testify Without Fear

The new law for the Witness Protection Scheme stands as a formidable shield, safeguarding witnesses against threats, intimidation, and injury.

Witnesses, Our Silent Heroes: Advocating for Justice

The new law clearly emphasises that Witness Protection is not just a legal provision but a commitment to Justice.





गवाह संरक्षण योजना

सच्चाई के संरक्षकः भारतीय <mark>नागरिक सुरक्षा सं</mark>हिता (बीएन<mark>एस</mark>एस), 2023 ने गवाह संरक्षण की ढाल का अनावरण किया!

ि गवाहः न्याय के स्तंभ, सत्य की

आवाज

गवाह 'न्याय की आंख और कान' के रूप में अदालत को सत्य और न्याय की दिशा में मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कानून का उद्देश्य गवाहों को नुकसान से बचाना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

्र न्याय की सुरक्षाः गवाह संरक्षण योजना

एक महत्वपूर्ण प्रगतिः भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 ने गवाहों को धमकियों और डराने-धमकाने से बचाने की महत्वपूर्ण आवश्यकता को स्वीकार करते हुए गवाह संरक्षण योजना की शुरूआत की।

्र उत्तरदायी कानूनी ढांचाः न्यायिक टिप्पणियों के साथ तालमेल

राज्य सरकारों को गवाह संरक्षण योजना तैयार करने और उसे अधिसूचित करने का अधिकार दिया गया है। गवाह संरक्षण 2018 का प्रारूप तैयार हो गया है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने महेंद्र चावला बनाम भारत संघ में दिए गए अपने निर्णय में इसे संस्तुति भी दे दी है। इसका उद्देश्य आपराधिक आचरण के खिलाफ समाज की रक्षा करना, कानून तोड़ने वालों को रोकना और देश के कानूनों का उल्लंघन करने या प्रयास करने वालों के अलावा गवाहों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना और उन्हें नुकसान से बचाना है।

्ट्र धारा ३९८: गवाह सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम

यह अभूतपूर्व वृद्धि सुनिश्चित करती है कि गवाहों की सुरक्षा आपराधिक प्रक्रियात्मक ढांचे का एक अभिन्न अंग बन जाए और प्रत्येक राज्य सरकार को धारा ३९८ के तहत गवाह संरक्षण योजना (डब्ल्यूपीएस) तैयार करने और अधिसूचित करने का आदेश दिया गया है।

ं गवाह संरक्षणः बिना किसी डर के गवाही देने के अधिकार को कायम

गवाह संरक्षण योजना के लिए नया कानून एक मजबूत ढाल के स्त्रप में खड़ा है, जो गवाहों को धमकियों, डराने-धमकाने और चोट

्र गवाह, हमारे मूक नायकः न्याय की

वकालत

से बचाता है।

न्या कानून स्पष्ट रूप से इस बात पर जोर देता है कि गवाह संरक्षण सिर्फ एक कानूनी प्रावधान नहीं है, बल्कि यह न्याय के लिए प्रतिबद्धता है।





Victim-centric Approach

Empowering Victims, Ensuring Justice

A Paradigm Shift towards Victim Empowerment

The new laws aim to enhance the efficiency, fairness, and accountability of the justice system. It recognises the victim as a stakeholder in the criminal proceedings, providing participatory rights and expanded right to information for the victim. The law has been reformed to place victims at the centre of the criminal justice system, offering unprecedented rights and opportunities.

Victim-centrile Features: A Hollstie Approach



Victims now have the right to express their views, reinforcing their role as stakeholders in criminal cases. Section 360 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) 2023 aims to fill the historical void in Section 321 of the CrPC by ensuring the inclusion of victims' voices before permitting case withdrawal.

Access to Justice

The institutionalisation of Zero-FIRs and the introduction of e-FIRs enhance accessibility, allowing victims to report crime anywhere irrespective of the crime location. For instance, Zero FIR is a provision under Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) 2023 that allows a person to register a First Information Report in any police station where information about a cognisable offence is provided, irrespective of the area where the offence is committed. It allows people to file an FIR online,

without having to visit a police station in person. The e-FIR system is designed to be efficient as it eliminates the need for people to travel to a police station and wait in long queues to file a complaint.

Right to Information

It grants victims the authority to obtain a free copy of the FIR. The law also provides obligatory measures to keep victims informed about the progress of investigations within 90 days.

Transparency

The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) 2023 emphasises victim information rights by ensuring the supply of police reports, FIRs, and witness statements. It also incorporates provisions dedicated to providing victims with crucial information at various stages of investigation and trial.





पीड़ित केंद्रित दृष्टिकोण

'पीड़ितों को सशक्त कर, न्याय सुनिश्चित करना!'

पीड़ित सशक्तिकरण की दिशा में एक आदर्श बदलाव

नए कानून का उद्देश्य न्याय प्रणाली की दक्षता, निष्पक्षता और जवाबदेही को बढ़ाना है। यह पीड़ित को आपराधिक मुकदमे में एक हितधारक के रूप में मान्यता देता है, भागीदारी अधिकार प्रदान करता है और पीड़ित के लिए सूचना का विस्तारित अधिकार प्रदान करता है। पीड़ितों को अभूतपूर्व अधिकार और अवसर प्रदान करते हुए, पीड़ितों को आपराधिक न्याय प्रणाली के केंद्र में रखने के लिए कानून में सुधार किया गया है।

पीड़ित चेरित की विशेषताएं । एक समग्रहिकीपा

्र भागीदारी का अधिकार

पीड़ितों को अब अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है, जिससे आपराधिक मामलों में हितधारकों के रूप में उनकी भूमिका मजबूत होती है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 360 का उद्देश्य केस वापसी की अनुमति देने से पहले पीड़ितों की आवाज को शामिल करना सुनिश्चित करके सीआरपीसी की धारा 321 में ऐतिहासिक कमी को भरना है।

🮓 न्याय प्रक्रिया आसान

शून्य एफआईआर के संस्थागतकरण और ई-एफआईआर की शुरुआत से पहुंच में वृद्धि हुई है, जिससे पीड़ितों को अपराध स्थान की परवाह किए बिना कहीं भी रिपोर्ट दर्ज करने की अनुमति मिलती है। उदाहरण के लिए, जीरो एफआईआर भारतीय न्याय संहिता के तहत एक प्रावधान है जो किसी व्यक्ति को किसी भी पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने की अनुमति देता है, जहां संज्ञेय अपराध के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है, भले ही अपराध किसी भी क्षेत्र में हुआ हो। ई-एफआईआर लोगों को व्यक्तिगत स्थप से पुलिस स्टेशन जाए बिना, ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने की अनुमति देती है। ई-एफआईआर प्रणाली को अधिक कुशल और सुविधाजनक बनाने के लिए डिजाइन किया गया है. क्योंकि यह लोगों को शिकायत दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन जाने और लंबी कतारों में इंतजार करने की आवश्यकता को समाप्त करता है।

🎓 सूचना का अधिकार


यह पीड़ितों को एफआईआर की मानार्थ प्रति प्राप्त करने का अधिकार देता है। कानून पीड़ितों को 90 दिनों के भीतर जांच की प्रगति के बारे में सूचित रखने के लिए अनिवार्य उपाय भी प्रदान करता है।

🎓 पारदर्शिता

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) पुलिस रिपोर्ट, एफआईआर और गवाहों के बयानों की आपूर्ति सुनिश्चित करके पीड़ित के सूचना अधिकारों पर जोर देता है। यह पीड़ितों को जांच और परीक्षण के विभिन्न चरणों में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए समर्पित प्रावधान भी देता है।

















Reform for freedom: Paving Way for Undertrial Justice

■ Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) 2023 introduces groundbreaking changes to alleviate overcrowding in prisons, with a focus on justice for undertrials.

Reducing Custodial Burden

- A game-changer: First-time offenders who have never been convicted of any offence in the past, can now be released on bail after serving one-third of the prescribed maximum sentence .
- This paves the way for rehabilitation and reduction of long custodial periods.

♦ Jail Superintendent as Bail Guardian

- The responsibility of applying for bail now rests with the Jail Superintendent of the prison where the accused is lodged.
- This ensures legal rights for eligible prisoners, marking a revolutionary change in the justice system.







स्वतंत्रता के लिए सुधारः विचाराधीन कैदियों को न्याय दिलाने का रास्ता

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 विचाराधीन कैदियों के न्याय पर ध्यान केंद्रित करते हुए,
 जेलों में भीड़भाड़ को कम करने के लिए महत्वपूर्ण बदलाव पेश करती है।

हिरासत का बोझ कम करना

- एक गेम-चेंजर : पहली बार के अपराधियों के लिए, जो पहले कभी किसी अपराध के लिए दोषी
 नहीं उहराए गए, निर्धारित अधिकतम सजा की एक तिहाई की सजा काटने के बाद जमानत पर
 रिहा कर दिए जाते हैं।
- पुनर्वास का मार्ग प्रशस्त करना और अनावश्यक हिरासत अवधि को कम करना।

जेल अधीक्षक अब जमानत संरक्षक के रूप में

- अपराधी की जमानत के लिए आवेदन करने की जिम्मेदारी अब उस जेल के जेल अधीक्षक की
 है, जहां आरोपी बंद है।
- योग्य कैदियों के लिए कानूनी अधिकार सुनिश्चित करना, न्याय प्रणाली में एक क्रांतिकारी बदलाव
 का प्रतीक है।







♦ Benefits

- A step towards ensuring timely justice and reducing the prison population.
- Relief for those accused or convicted of petty crimes, marking a transformative moment in our legal landscape.
- Allowing social reintegration and reducing chances of recidivism.








फायदा

- समय पर न्याय सुनिश्चित करने और जेलों में कैदियों की संख्या कम करने की दिशा में एक
 कदम।
- छोटे अपराधों के आरोपियों या दोषी लोगों के लिए राहत, कानूनी परिदृश्य में एक परिवर्तनकारी
 क्षण का प्रतीक है।
- समाज की मुख्य धारा में लाना और पुनरावृत्ति की संभावना को कम करना।









Transforming Criminal Justice:
International Implications











Transforming Reforms

In the spirit of justice reform, the Bharatiya Nyaya Sanhita, Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, and Bharatiya Sakshya Adhiniyam introduce groundbreaking provisions with international implications.

1. Handling Global Offences:

- New provisions for crimes having international ramifications.
- ♦Enhanced framework for cooperation in transnational crimes.

2. Attachment of Properties Abroad:

- ◆Declaration of proclaimed offenders: Expanded scope, covering more than 100 offences, including rape, murder, organised crime, terrorist act, etc.
- ◆ Attachment of properties abroad of proclaimed offenders.

3. International Collaboration:

◆Encourages collaboration with international agencies for investigations.







परिवर्तनकारी सुधार

न्याय सुधार की भावना में, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम अंतरराष्ट्रीय निहितार्थों के साथ अभूतपूर्व प्रावधान पेश करते हैं।

१. वैश्विक अपराधों से निपटनाः

- ♦अंतरराष्ट्रीय अपराध वाले मामलों के लिए नए प्रावधान।
- ♦अंतरराष्ट्रीय अपराधों में सहयोग के लिए उन्नत रूपरेखा।

2. विदेश में संपत्ति की कुर्की:

- ◆घोषित अपराधियों की उद्घोषणाः बलात्कार, हत्या, संगठित अपराध, आतंकवादी गतिविधि सहित 100 से अधिक अपराधों को शामिल करते हुए दायरा बढ़ाया गया।
- घोषित अपराधियों की विदेश में संपत्ति की कुर्की।

३. अंतर्राष्ट्रीय सहयोगः

जांच के लिए अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ सहयोग को प्रोत्साहित करता है।







4. Organised Crimes Across Borders:

- ♦Introduction of a new section on organised crimes.
- ◆Acts of human trafficking and trafficking of drugs, weapons, illicit goods or services have been dealt with stringent punishment.
- ◆Economic offence and cyber crimes having cross-border implications are also dealt with under organised crime.

5. Extra-Territorial Jurisdiction:

- ◆Clarification on the admissibility of records in electronic form from foreign jurisdictions.
- ◆Recognition of electronic records as evidence with proper custody procedures.







४. सीमापार संगठित अपराधः

- •संगठित अपराध पर एक नई धारा का परिचय।
- ◆मानव तस्करी और नशीली दवाओं, हथियारों, अवैध वस्तुओं या सेवाओं की तस्करी के कृत्यों में कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है।
- ◆आर्थिक अपराध और सीमा पार वाले साइबर अपराधों को भी संगठित अपराध के तहत निपटाए जाने का प्रावधान।

५. विदेश क्षेत्राधिकारः

- ◆विदेशी क्षेत्राधिकार से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की स्वीकार्यता पर स्पष्टीकरण।
- उचित प्रक्रियाओं के साथ साक्ष्य के रूप में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की मान्यता।









New Criminal Laws 2023

Transformative Judicial Reforms: Shaping a Just Future







परिवर्तनकारी न्यायिक सुधारः एक उचित भविष्य को आकार





Key Focus Areas

1. Swift Justice Delivery:

- ♦Streamlined process for expeditious resolution.
- ♦ Adherence to strict timelines at every stage.

2. Tech-Driven Legal Landscape:

- ♦Utilising technology for electronic communication and proceedings.
- ♦Online access to justice, transcending geographical boundaries.

3. Updated Legal Definitions:

- ◆ Revised definitions aligning with contemporary legal needs.
- ♦Clarity and precision in legal language.

4. Empowered Law Enforcement:

- ◆Appointment of police officers as Special Executive Magistrates.
- ◆Strengthening the role of law enforcement in justice delivery.







मुख्य फोकस क्षेत्रः

१. त्वरित न्याय वितरणः

- ♦शीघ्र समाधान के लिए सुव्यवस्थित प्रक्रियाएं।
- ♦हर चरण पर सख्त समयसीमा का पालन।

2. तकनीक-संचालित कानूनी परिदृश्यः

- ◆इलेक्ट्रॉनिक संचार और कार्यवाही के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना।
- भौगोलिक सीमाओं से परे, न्याय तक ऑनलाइन पहुंच।

३. अद्यतन कानूनी परिभाषाएँ:

- •समसामयिक कानूनी आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित परिभाषाएँ।
- कानूनी भाषा में स्पष्टता और सटीकता।

४. सशक्त कानून प्रवर्तनः

- ◆विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति।
- न्याय वितरण में कानून प्रवर्तन की भूमिका को मजबूत करना।







5. Localised Prosecution:

- ♦ Establishment of District Directorate of Prosecution.
- ◆Strengthening localised prosecution for effective legal proceedings and to monitor cases for expeditious disposal.

6. Community Service:

- ♦Courts empowered to award community service.
- ♦ Reformative and Restorative approach.

7. Transparency & Accountability:

- ♦ Victims/informants informed about the investigation within 90 days.
- ◆Fostering transparency and victim participation in the legal process.

8. Trial in Absentia:

- ♦Initiation of trial in absentia against proclaimed offenders within 90 days.
- ◆Expedited legal processes for effective justice.







५. स्थानीयकृत अभियोजनः

- ♦जिला अभियोजन निदेशालय की स्थापना।
- ◆प्रभावी कानूनी कार्यवाही के लिए स्थानीय अभियोजन को मजबूत करना, त्वरित निपटारे के लिए मामले की निगरानी करना।

६. सामुदायिक सेवाः

- •अदालतों को सामुदायिक सेवा कराने का अधिकार।
- •सुधारात्मक और पुनर्स्थापनात्मक दृष्टिकोण।

७. पारदर्शिता एवं जवाबदेही:

- ◆पीड़ितों/सूचनाकताओं को 90 दिनों के भीतर जांच की जानकारी देना।
- ◆कानूनी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और पीड़ित की भागीदारी को बढ़ावा देना।

८. अनुपस्थिति में परीक्षणः

- ♦९० दिनों के भीतर घोषित अपराधियों के खिलाफ उनकी अनुपरिश्रित में मुकदमा शुरू करना।
- प्रभावी न्याय के लिए त्विरत कानूनी प्रक्रियाएं।



















Zero Tolerance Against Terrorism, Unwavering Justice

♦ A Robust Shield Against Terrorism

■ Bharatiya Nyaya Sanhita, (BNS) 2023 fortifies the legal arsenal against terrorism, addressing threats to the unity, integrity, sovereignty, and economic security of India.

♦ Defining Terrorist Acts: A Comprehensive Approach

- Section 113 outlines various acts that constitute terrorism, including the use of explosives, lethal weapons, chemicals or any hazardous substances.
- The scope covers acts causing death, injury, damage to property, disruption of essential supplies, and more.

♦ Targeting Public Functionaries and Facilities

■ The provision recognises the term "public functionary," encompassing constitutional authorities and other functionaries notified by the Central Government.







'आतंकवाद से समझौता नहीं, न्याय के लिए अडिग'

- आतंकवाद के विरुद्ध एक मजबूत ढाल
- भारतीय न्याय संहिता, 2023 भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता और आर्थिक सुरक्षा के लिए खतरों को संबोधित करते हुए आतंकवाद के खिलाफ कानूनी शस्त्रागार को मजबूत करती है।
- आतंकवादी कृत्यों को परिभाषित करना : एक व्यापक दृष्टिकोण
- धारा ११३ विभिन्न कृत्यों की रूपरेखा प्रस्तुत करती है, जो आतंकवाद का सृजन करते हैं, जिसमें
 विस्फोटकों, घातक हथियारों, रसायनों या किसी भी खतरनाक पदार्थ का उपयोग शामिल है।
- इस दायरे में मृत्यु, चोट, संपत्ति को नुकसान, आवश्यक आपूर्ति में व्यवधान और बहुत कुछ
 शामिल है।
- सार्वजनिक पदाधिकारियों और सुविधाओं को लक्षित करना
- 'सार्वजिनक पदाधिकारी' शब्द को मान्यता देने का प्रावधान है, जिसमें संवैधानिक प्राधिकारियों
 और केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य पदाधिकारी शामिल हैं।







- Criminal force or attempts to cause death to a public functionary fall under the purview of terrorism.
- Destruction by bombs, dynamites or other explosive substances, etc. of public facilities or private property is now defined as a terrorist activity.

♦Stringent Punishment: Death or Life Imprisonment

- Severe penalties have been defined for terrorist acts such as death sentence or life imprisonment.
- A resolute response to curb the rising menace of terrorism.

♦Beyond Borders: Addressing International Terrorism

■ The legislation encompasses acts that result in "damage or destruction of any property in a foreign country, used for defence of India or used in connection with the functioning of the Government of India", thereby recognising the global threat of international terrorism.








- आपराधिक बल या किसी सार्वजिनक पदाधिकारी को मौत के घाट उतारने का प्रयास आतंकवाद
 के दायरे में आता है।
- सार्वजनिक सुविधाओं या निजी संपत्ति को बम, डायनामाइट या अन्य विस्फोटक पदार्थों से नष्ट
 करना अब आतंकवादी गतिविधि के तहत अपराध माना जाएगा।
- 🕨 कड़ी सजाः मौत या आजीवन कारावास
- आतंकवादी कृत्यों के लिए कठोर दंड, मृत्यु या आजीवन कारावास।
- आतंकवाद के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए एक दृढ़ प्रतिक्रिया।
- सीमाओं से परेः अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद की वास्तविकताओं को संबोधित करना
- यह कानून उन कृत्यों को शामिल करता है जिनके परिणामस्वरूप 'किसी अन्य देश में किसी भी संपत्ति की क्षिति और विनाश होती है, जिसका उपयोग भारत की रक्षा के लिए किया जाता है या भारत सरकार के कामकाज के संबंध में किया जाता है', जिससे अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के वैश्विक खतरे की बात पुष्ट होती है।











Digitising justice, elevating efficiency and credibility

♦Integrating technology across the legal spectrum

■ The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS), 2023 introduces technology from the scene of the crime to investigation and trial, promising a swift and transparent justice system. The inclusion of technology is a significant step towards modernising the criminal justice system and harnessing the strength of modern scientific technology.

♦Elevating electronic evidence: A paradigm shift

- The new laws place electronic/digital evidence on equal footing with traditional documentary evidence for admissibility.
- Definition of 'documents' to include futuristic elements such as server logs, locational evidence, and digital voice messages.







न्याय का डिजिटलीकरण, सक्षमता और विश्वसनीयता बढ़ाना

कानूनी स्पेक्ट्रम में प्रौद्योगिकी का एकीकरण

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 ने एक तेज और पारदर्शी न्याय प्रणाली का वादा करते हुए अपराध स्थल से लेकर जांच और मुकदमे तक प्रौद्योगिकी की शुरूआत की। प्रौद्योगिकी का समावेश आपराधिक न्याय प्रणाली को आधुनिक बनाने और आधुनिक वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी की ताकत का उपयोग करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

उन्नत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यः एक आदर्श बदलाव

- नए कानूनों में इलेक्ट्रॉनिक/डिजिटल साक्ष्य को स्वीकार्यता के लिए पारंपरिक दस्तावेज साक्ष्य के समान माना गया है।
- दस्तावेजों की परिभाषा में सर्वर लॉग, स्थान संबंधी साक्ष्य और डिजिटल वॉयस संदेश
 भी शामिल।
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के तहत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की स्वीकार्यता को धारा
 57 और 63 में बारीकियों को सिहत रूप से बताया गया है।







- The admissibility of electronic records under Bharatiya Sakshya Adhiniyam (BSA) 2023, particularly in Sections 57 and 63, have clearly enunciated the nuances of the same.
- BSA 2023 revolutionises the law of evidence, treating electronic evidence as equivalent to physical evidence in courts.

♦Streamlining secondary evidence: A futuristic approach

- The scope of secondary evidence broadens under BSA 2023, incorporating oral admissions, written admissions, and evidence of skilled person who has examined a document which contains numerous accounts or cannot be conveniently examined in Court.
- Two new forms introduced in the schedule expedite the authentication and appreciation of digital evidence, addressing challenges under previous statutes.







भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 साक्ष्य के कानून में क्रांतिकारी बदलाव लाता है,
 इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को अदालतों में भौतिक साक्ष्य के बराबर मानता है।

द्वितीयक साक्ष्य को सुव्यवस्थित करनाः एक भविष्यवादी दृष्टिकोण

- भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के तहत द्वितीयक साक्ष्य का दायरा व्यापक हो गया
 है, जिसमें मौखिक कबूली, लिखित कबूली और कुशल लोगों के साक्ष्य जिन्होंने उन
 दस्तावेजों की जांच की है जिसमें कई ऐसे कबूलनामे है जिन्हें आसानी से अदालत में
 जांच नहीं किया जा सकता।
- अनुसूची में पेश किए गए दो नए फॉर्म डिजिटल साक्ष्य के प्रमाणीकरण और मूल्यांकन में तेजी लाते हैं, पिछले कानूनों के तहत चुनौतियों का समाधान करते हैं।

साक्ष्य प्रस्तुति में क्रांतिः एक पारदर्शी दृष्टिकोण

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 105 में जब्त की गई वस्तुओं की सूची और गवाहों के हस्ताक्षर सहित तलाशी और जब्ती के दौरान वीडियोग्राफी की प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है। मिजस्ट्रेट के समक्ष इन रिकार्डिंग को तुरंत प्रस्तुत किए जाने का प्रावधान किया गया है तािक साक्ष्य संग्रह में पारदर्शिता सुनिश्चित हो, और साक्ष्य के साथ कोई छेड़छाड़ न हो।







♦Revolutionising evidence presentation: A transparent approach

■ Section 105 of BNSS 2023 introduces procedures for videography of search and seizure, including preparing lists of seized items and witness signatures. The records are presented immediately before magistrates to ensure transparency in evidence collection and discouraging fabrication of evidence.

♦Security measures for vulnerable victims: Protecting rights

■ The new laws retain provisions for mandatory videography of police statements and audio-video recordings for vulnerable victims with physical or mental disabilities.







कमजोर पीड़ितों के लिए सुरक्षा उपायः अधिकारों की रक्षा

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 शारीरिक या मानिसक विकलांगता वाले कमजोर
 पीड़ितों के लिए पुलिस बयानों और ऑडियो–वीडियो रिकॉर्डिंग की अनिवार्य वीडियोग्राफी
 के प्रावधानों को बरकरार रखता है।









New Criminal Laws 2023

Collaborative Transformation: Stakeholder-Driven Reforms











Objectives

- 1. **Constitutional Justice:** Aligning with the vision of the Indian Constitution.
- 2. **Justice-centric System:** Shift from being punishment-centric to justice-centric.
- 3. **Shedding Colonial Mindset:** By fulfilling the 'Panch Pran' pledge.
- 4. **Victim-centric Justice:** Prioritising the rights and needs of victims.
- 5. **Accessible Justice:** Ensuring affordability, accessibility, and simplicity.
- 6. Transparency and Accountability: Making procedures consistent and transparent.

Aim

- ◆ Fair and Time-bound Investigation: Ensuring evidence-based speedy trials.
- ◆Court and Prison Burden Reduction: Streamlining the legal process for releasing undertrials on bail, reducing incarceration by introducing community service.







लक्ष्य

- 1. **संवैधानिक न्यायः** भारतीय संविधान की दृष्टि के अनुरूप।
- 2. **न्याय-केंद्रित प्रणाली**: दंड-केंद्रित से न्याय-केंद्रित की ओर बढना।
- 3. **गुलामी की मानसिकता को समाप्त करना**ः 'पंच प्रण' का संकल्प पूरा करना।
- 4. **पीड़ित-केंद्रित न्याय**ः पीड़ितों के अधिकारों और जरूरतों को प्राथमिकता देना।
- ५. सुलभ न्यायः सामर्थ्य, पहुंच और सरलता सुनिश्चित करना।
- 6. **पारदर्शिता और जवाबदेही**: प्रक्रियाओं को सुसंगत और पारदर्शी बनाना।

उद्देश्य

- ◆निष्पक्ष और समयबद्ध जांचः साक्ष्य-आधारित त्वरित ट्रायल सुनिश्चित करना।
- ◆न्यायालय और जेल के बोझ में कमी: विचाराधीन कैदीयों को जमानत पर रिहा करने और कारावास की अवधि को कम करने के लिए सामूदायिक सेवा का प्रावधान।
- दोषिसिद्धि दर में वृद्धिः तकनीक के उपयोग तथा प्रक्रियाओं एवं कार्यवाहियों की समयबद्ध तरीके से निस्तारण से न्याय देने की कुशलता में वृद्धि।







◆Increased Conviction Rate: Enhancing the effectiveness of justice delivery by imbibing technology and timebound completion of processes and proceedings.

Consultative Process

- ♦Initiated in 2019: Comprehensive review of criminal laws.
- ◆Stakeholder Involvement: Consultations with Governors, CMs, Judges, MPs, IPS officers and more.
- ◆Committee Formation: Chaired by Vice-Chancellor, National Law University, Delhi.
- **♦ Suggestions Received:** 3,200 from various stakeholders.
- ♦ Hon'ble Home Minister's Efforts: Over 150 meetings held to deliberate on the suggestions.







परामर्शात्मक प्रक्रिया

- ◆2019 में शुरूआत: आपराधिक कानूनों की व्यापक समीक्षा।
- ◆हितधारकों की भागीदारीः राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, न्यायाधीशों, सांसदों, आईपीएस अधिकारियों और अन्य के साथ परामर्श।
- ◆समिति का गठनः अध्यक्षता–कुलपति, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय दिल्ली ।
- ♦सुझाव : विभिन्न हितधारकों से 3200 सुझाव प्राप्त हुए।
- ◆माननीय गृह मंत्री के प्रयास : प्राप्त सुझावों पर विचार विमर्श के लिए 150 से अधिक बैठकें आयोजित की गईं।



















- ♦ Putting an End to Snatching Menace—One law for the whole Nation
- Snatching has shown itself as one of the biggest threats to all strata of society, predominantly women and the elderly. The rising incidents of chain snatching and mobile phone snatching, which contain sensitive data, financial information and passwords, have necessitated the addition of a section in Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) 2023.

BNS 2023 provides for serious punishments with regard to snatching

- Imprisonment and Fine: Introduction of Section 304 has marked snatching as a distinct crime with up to 3 years of imprisonment and a fine as prescribed. The court determines the specific term and amount based on the case severity, the offender's past record, and other factors. It also comes under 'petty organised crime' if committed by a group or gang.
- Theft Vs Robbery: While considered a serious offence, snatching generally attracted a lesser punishment than robbery under the IPC due to the absence of threats or bodily harm. Theft in BNS involves taking movable property without consent, but not necessarily using force.







स्नैचिंग के खतरे को खत्म करना-देश के लिए एक कानून

स्नैचिंग (छीनाझपटी) ने खुद को समाज के सभी वर्गों, मुख्य रूप से महिलाओं और बुजुर्गों के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक के रूप में दिखाया है। चेन स्नैचिंग और मोबाइल फोन स्नैचिंग की बढ़ती घटनाओं, जिसमें संवेदनशील डेटा, वित्तीय जानकारी और पासवर्ड शामिल हैं, को दंडित करने के लिए एक धारा जोड़ने की आवश्यकता है।

भारतीय न्याय संहिता २०२३ में स्नैचिंग के संबंध में निम्नलिखित दंडों का प्रावधान किया गया है:

■ कारावास और जुर्मानाः धारा 304 में स्नैचिंग को एक अलग अपराध के रूप में चिह्नित किया गया है जिसमें 3 साल तक की कैद और जुर्माना निर्धारित है। अदालत मामले की गंभीरता, अपराधी के पिछले रिकॉर्ड और अन्य कारकों के आधार पर अवधि और जुर्माने की राशि निर्धारित करती है। यदि यह किसी समूह या गिरोह द्वारा किया जाता है तो यह 'छोटे संगठित अपराध' के अंतर्गत भी आता है।







Robbery, on the other hand, involves threats or actual violence along with the taking of property by force.

Impact and Benefits:

- Victim Protection: The creation of a specific offence for snatching acknowledges this crime's distinct impact on victims, who often suffer physical and emotional trauma over and above the loss of property.
- Protection of valuable data: Mobile phones which contain sensitive personal data, financial information and passwords are protected by separately making the act of 'snatching' as an offence.
- **Deterrence:** The specific punishment for snatching aims to discourage potential offenders and send a strong message about the seriousness of the government to tackle the crime.







■ **चोरी बनाम डकेती**: हालांकि स्नैचिंग को एक गंभीर अपराध माना जाता है, लेकिन धमिकयों या शारीरिक नुकसान की अनुपस्थिति के कारण आईपीसी के तहत स्नैचिंग में आम तौर पर डकैती की तुलना में कम सजा होती है। भारतीय न्याय संहिता में चोरी में सहमित के बिना चल संपित लेना शामिल है, लेकिन जरूरी नहीं कि बल प्रयोग किया जाए। दूसरी ओर, डकैती में संपित छीनने के साथ–साथ धमकी या वास्तिवक हिंसा भी शामिल होती है।

प्रभाव और लाभः

- पीड़ित की सुरक्षाः छीनाझपटी होने पर पीड़ित अक्सर संपत्ति के नुकसान के अलावा शारीरिक
 और भावनात्मक अघात भी झेलते हैं। इस बात को कानून में स्थान दिया गया है।
- मूल्यवान डाटा की सुरक्षाः जिन मोबाइल फोन में संवेदनशील व्यक्तिगत डाटा, वित्तीय जानकारी
 और पासवर्ड होते हैं, उन्हें अलग से छीनने के कृत्य को अपराध बनाकर संरक्षित किया गया है।
- निरोधः स्नैचिंग के लिए विशिष्ट सजा का उद्देश्य संभावित अपराधियों को हतोत्साहित करना और
 अपराध की गंभीरता के बारे में एक मजबूत संदेश भेजना है।



















The New Criminal Laws strengthen the legal regime to provide protection to women from sexual harassment

- **Prevention and Prohibition:** Defines and prohibits sexual harassment to foster a harassment-free workplace.
- **Alignment with International Standards:** Reinforcing commitment to gender equality and non-discrimination.
- **Criminal Penalties:** Sexual harassment encompasses physical contact, demands for sexual favours, displaying pornography against a woman's will, and making sexually coloured remarks.
- Civil Remedies: Victims of sexual harassment may also pursue civil remedies through legal avenues, such as civil lawsuits or administrative complaints.
- Workplace Policies: Employers are required by law to implement policies and procedures for preventing and addressing sexual harassment in the workplace.
- Strategies for Reducing Sexual Harassment: Education, culture of respect, policies, victim empowerment, collaboration, and advocacy.







नए आपराधिक कानून महिलाओं को यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करने के लिए कानूनी व्यवस्था को मजबूत करते हैं

- रोकथाम और निषेधः यह उत्पीड़न-मुक्त कार्यस्थल को बढ़ावा देने के लिए यौन उत्पीड़न को परिभाषित और प्रतिबंधित करता है।
- अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ तालमेलः लैंगिक समानता और गैर-भेदभाव के प्रति प्रतिबद्धता
 को मजबूत करना।
- आपराधिक दंडः यौन उत्पीड़न में शारीरिक संपर्क, यौन संबंधों की मांग, महिला की इच्छा के विरुद्ध अश्लील साहित्य दिखाना और कामुक टिप्पणियां करना शामिल है।
- **नागरिक उपचार**ः यौन उत्पीड़न के शिकार लोग कानूनी रास्ते, जैसे सिविल मुकदमे या प्रशासनिक शिकायतों के माध्यम से सिविल उपाय भी अपना सकते हैं।
- कार्यस्थल नीतियां: कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने और उन्हें संबोधित करने के लिए नियोक्ताओं को कानून द्वारा नीतियों और प्रक्रियाओं को लागू करना आवश्यक है।
- **यौन उत्पीड़न को कम करने की रणनीतियां**ः शिक्षा, सम्मान की संस्कृति, नीतियां, पीड़ित सशक्तिकरण, सहयोग और उनका पक्ष लेना।









New Criminal Laws 2023 Quick Settlement of Case Properties











Quick Settlement of Case Properties

Key Features

- ◆Quick Disposal: No more prolonged holding of case properties. The new law mandates swift disposal by the court or magistrate, ensuring a streamlined legal process.
- ◆Utilisation of Technology: Technology has been embraced for a seamless process. From photography to videography, Section 497 ensures the entire process of handling case properties is digitised.
- ◆Evidence Preservation: Photographic or videographic records are now admissible as evidence in investigations, trials, or other legal proceedings, as per Section 497. This ensures a comprehensive record of every step in the handling of case properties.
- ◆Timely Disposition: Within 30 days of recording, the property will be either disposed of, destructed, forfeited, or distributed. Section 497 ensures a prompt resolution and prevents unnecessary delays.







केस संपत्तियों का त्वरित निपटान

मुख्य विशेषताएं:

- ◆त्विरत निपटान : अब केस प्रॉपर्टीज को दीर्घकालिक रखने की आवश्यकता नहीं है नया कानून न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को उसके जल्दी निपटारे को बाध्य करता है जिससे कानूनी प्रक्रियाओं को संरचित करने में सहायक है।
- ◆तकनीक का उपयोग: हमने इस प्रक्रिया में तकनीक का सहयोग लिया है फोटोग्राफी से लेकर वीडियोग्राफी तक, धारा 497 संपत्तियों के संबंध में पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और दक्ष बनाए रखल्लं सुनिश्चित करती है
- ◆सबृत संरक्षण : धारा ४९७ के अनुसार फोटो या वीडियोग्राफी रिकॉर्ड्स को अब जांच, ट्रायल, या अन्य कानूनी प्रक्रियाओं में प्रमाण के रूप में स्वीकृत है। यह संपत्तियों के संबंध में प्रत्येक कदम का विस्तृत रिकॉर्ड सुनिश्चित करता है।
- **♦समय पर डिस्पोजल** : रिकॉर्डिंग के 30 दिनों के भीतर, संपत्ति को डिस्पोजल, नष्ट, जब्त या वितरित किया जाएगा। धारा ४९७ समयगत डिस्पोजल और अनावश्यक देरी नहीं होगी।







Benefits for You:

- **♦ Faster Resolution:** Experience quicker closure to legal matters involving case properties.
- ◆Transparency: Every step of the process is documented, ensuring transparency and accountability.
- **◆Legal Certainty:** The use of modern technology enhances the reliability and legal validity of the entire process.

How It Works:

- ◆ **Preparation of Statement:** The process begins with preparation of a statement by the Magistrate describing the property.
- ◆Photography/Videography: The process followed with the thorough documentation of the case property through photographs and videos.
- ◆Admissible Evidence: These records become admissible evidence in legal proceedings, strengthening your case.
- ◆Swift Decision: The court or magistrate takes prompt action within 30 days for the disposition of the case property.







आपके लिए लाभः

- ♦ तेज निर्णय : संपत्तियों से संबंधित कानूनी मामलों का जल्दी समाधान।
- **♦पारदर्शिता** : प्रक्रिया के प्रत्येक कदम का दस्तावेजीकृत करने से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित ।
- **०कानूनी निश्चता** : आधुनिक तकनीक के उपयोग से प्रक्रिया की पूरी क्रियावली की सत्यता और कानूनी वैधता को बढ़ावा मिलेगा।

कैसे काम करता है:

- ♦बयान की तैयारी: यह प्रक्रिया मजिस्ट्रेट द्वारा संपत्ति का विवरण तैयार करने से पहले बयान से शुरू होती है।
- **♦फोटोग्राफी** / **वीडियोग्राफी** : यह प्रक्रिया संपत्ति के फोटोग्राफ और वीडियोग्राफ के माध्यम से विस्तृत रूप से दस्तावेजीकृत से शुरू होती है ।
- ♦स्वीकृत प्रमाण : ये रिकॉर्ड्स कानूनी प्रक्रियाओं में स्वीकृत प्रमाण बनते हैं, जो आपके मामले को मजबूत करते हैं।
- ◆त्विरित निर्णय : न्यायालय या मिजस्ट्रेट संपित के निपटान के लिए 30 दिनों के भीतर शीघ्र कदम उठाता है।



















The New Criminal Laws have incorporated stringent provisions for dealing with offenders evading the process of law

- Earlier, in CrPC proclaimed offenders could be declared in 19 offences only. In BNSS any person absconding from legal proceedings in offences punishable with 10 years or more or life imprisonment or death sentence may be declared as "proclaimed offender".
- In BNSS, for proclaimed offenders a new provision has been added for the identification, attachment and forfeiture of their property situated outside India.
- BNSS introduces the procedure for in-absentia trial of proclaimed offenders. Now the process will not be halted waiting for the proclaimed offender to join the process. The victim and society need not wait for the justice.








नए आपराधिक कानूनों में कानून की प्रक्रिया से बचने वाले अपराधियों से निपटने के लिए कड़े प्रावधान शामिल किए गए हैं

- पहले, सीआरपीसी में केवल 19 अपराधों में ही उद्घोषित अपराधी घोषित किया जा सकता था।
 बीएनएसएस में 10 साल या उससे अधिक या आजीवन कारावास या मौत की सजा वाले अपराधों
 में कानूनी कार्यवाही से फरार किसी भी व्यक्ति को 'घोषित अपराधी' घोषित किया जा सकता है।
- बीएनएसएस में घोषित अपराधियों के लिए भारत के बाहर स्थित उनकी संपित की पहचान, कुर्की
 और जब्ती के लिए एक नया प्रावधान जोड़ा गया है।
- बीएनएसएस ने घोषित अपराधियों की अनुपस्थिति में सुनवाई की प्रक्रिया शुरू की है। अब घोषित
 अपराधी के प्रक्रिया में शामिल होने के इंतजार में प्रक्रिया नहीं रुकेगी। पीड़ित और समाज को न्याय
 के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है।



















Unmasking the Shadows: Taking on Organised Crime

- ♦ Cracking Down on Organised Crime: A New Chapter in the Criminal Justice System
- A dedicated section has been introduced in Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) 2023 to combat organised crime, ensuring no room for unlawful activities orchestrated by syndicates, which pose a grave threat to the internal security of the country.
- Section 111 of the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) 2023 defines organised crime and targets a range of offences including kidnapping, robbery, cyber-crimes, and more.
- Offences which were either not clearly defined or nonexistent in the previous statute have been introduced in Section 112(petty organised crime), which clearly includes offences such as snatching, shoplifting, betting or gambling and selling examination papers.
- Activities committed individually or by organised crime syndicates, using violence, threats, or coercion are now punishable offences.





परछाइयों को उजागर करनाः संगठित अपराध पर प्रहार

- संगठित अपराध पर नकेल कसना : न्याय में एक नया अध्याय
- संगठित अपराध से निपटने के लिए एक समर्पित धारा, जो देश की आंतरिक सुरक्षा के
 लिए गंभीर खतरा पैदा करने वाले सिंडिकेट द्वारा संचालित गैरकानूनी गतिविधियों के
 लिए कोई जगह सुनिश्चित नहीं करता है।
- भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 111 संगठित अपराध को परिभाषित करती है,
 जिसमें अपहरण, डकैती, साइबर अपराध और कई अन्य अपराधों को लक्षित किया जाता
 है।
- जो अपराध या तो स्पष्ट रूप से पिरभाषित नहीं थे या पिछले कानून में मौजूद नहीं थे, उन्हें एक अलग धारा 112- (छोटे संगठित अपराध) के रूप में रखा गया है, जो स्पष्ट रूप से इसे स्नैचिंग, शॉपलिफ्टिंग, सट्टेबाजी या जुआ और परीक्षा पत्र बेचने जैसे अपराधों में पिरभाषित करता है।
- व्यक्तिगत रूप से या संगठित अपराध सिंडिकेट द्वारा हिंसा, धमकी या जबरदस्ती का
 उपयोग करके की गई गतिविधियां अब दंडनीय हैं।







♦ Economic Offences Defined: Safeguarding Financial Integrity

■ "Economic Offences" now include a spectrum of crimes such as criminal breach of trust, forgery, hawala transactions, mass-marketing fraud, and schemes to defraud several persons or banking/financial institutions.

♦ Stringent Punishment to Deter Offenders

In case the offence leads to loss of life, the perpetrator shall face either death penalty or life imprisonment, coupled with a mandatory fine of not less than ₹10 lakh. Additionally, there are provisions for individuals aiding in the commission of organised crimes, along with appropriate punishments.

♦ Tough Provisions for Proclaimed Offenders

- Forfeiture as a Consequence: The proclaimed offenders would be penalised through forfeiture of their properties.
- Trial in Absentia: Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) 2023 allows courts to conduct trials of proclaimed offenders even in their absence.





🕨 आर्थिक अपराध हुए परिभाषितः वित्तीय अखंडता की रक्षा

 'आर्थिक अपराधों' में अब आपराधिक विश्वासघात, जालसाजी, हवाला लेनदेन, सामूहिक विपणन धोखाधड़ी, और व्यक्तियों या बैंकिंग/वित्तिय संस्थानों को धोखा देने की योजनाएं जैसे अपराध भी शामिल किए गए हैं।

अपराधियों को रोकने के लिए कड़ी सजा

यदि अपराध के कारण जीवन की हानि होती है, तो अपराधी को या तो मृत्युदंड या आजीवन कारावास का सामना करना पड़ेगा, साथ ही कम से कम 10 लाख रुपये का अनिवार्य जुमार्ना भी लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त, संगठित अपराधों में सहायता करने वाले व्यक्तियों के लिए उचित दंड के प्रावधान मौजूद हैं।

घोषित अपराधियों के लिए सख्त प्रावधान (पी.ओ.)

- परिणामस्वरूप जब्तीः घोषित अपराधियों को उनकी संपत्ति जब्त करके दंडित किया
 जाएगा।
- अनुपस्थिति में मुकदमाः भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 अदालत को घोषित
 अपराधियों की अनुपस्थिति में मुकदमा चलाने की अनुमित देता है।









CRIMINAL LAWS







नएशाएयधिक





MYTH ×

The new criminal laws threaten individual freedom and aim to establish a police state.

TRUTH ~

- ◆ Safeguards against misuse: The new laws incorporate safeguards to prevent misuse of power, emphasising accountability and transparency in law enforcement actions, instilling confidence in the justice system.
- ◆ Transparency and accountability: The new provision for audio-video recording of search and seizure operations ensures transparency, fostering police accountability and safeguarding individual rights.
- ◆ Accessibility and convenience: Introduction of e-FIR provision enhances accessibility, allows individuals to lodge complaints from anywhere, thereby reducing barriers and ensuring timely legal remedies.
- ◆ Preserving personal liberty: The provisions requiring unnecessary arrests have been removed. The denial of bail only on the ground of extended police custody beyond first 15 days is not allowed.







मिथक 🗶

नए आपराधिक कानून निजी स्वतंत्रता के लिए खतरा हैं और एक पुलिस राज स्थापित करते हैं।

सच 🗸

- दुरुपयोग के विरुद्ध सुरक्षा उपाय: नए कानूनों में शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों को शामिल किया गया है, कानून प्रवर्तन कार्यों में जवाबदेही और पारदर्शिता पर जोर दिया गया है, जिससे न्याय प्रणाली में विश्वास पैदा हुआ है।
- पारदर्शिता और जवाबदेही: तलाशी और जब्ती अभियानों की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग का नया प्रावधान पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, पुलिस की जवाबदेही को बढ़ावा देता है और व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा करता है।
- सुविधा और पहुंच : ई-एफआईआर का प्रावधान पहुंच को बढ़ाता है, जिससे व्यक्तियों को कहीं से भी शिकायत दर्ज करने, बाधाओं को कम करने और समय पर कानूनी उपचार सुनिश्चित करने की अनुमित मिलती है।







- ◆ **Jurisdictional flexibility:** Provision of Zero FIR eliminates jurisdictional constraints, enabling individuals to file complaints at any police station, thereby expediting the legal process and improving citizen-friendliness.
- ◆ Oversight mechanisms and accountability: Strict oversight mechanisms, including mandatory recording of arrests and of evidence collection, act as preventive measures against potential police excesses, ensuring adherence to legal procedures and protection of citizens.
- ◆ **Protection of fundamental rights:** The laws prioritise the protection of fundamental rights, including the right to free speech and to assemble peacfully allaying concerns of arbitrary suppression of dissent.







- व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चितिकरणः अनावश्यक गिरफ्तारी पर रोक का प्रावधान। सिर्फ 15 दिन पुलिस हिरासत में रखे जाने की वजह से जमानत से इनकार पर रोक का प्रावधान।
- क्षेत्राधिकार लचीलापन : शून्य एफआईआर का प्रावधान क्षेत्राधिकार संबंधी बाधाओं को समाप्त करता है, जिससे व्यक्ति किसी भी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कर सकता है, जिससे कानूनी प्रक्रिया में तेजी आती है और नागरिक-मित्रता में सुधार होता है।
- निरीक्षण तंत्र और जवाबदेही: सख्त निरीक्षण तंत्र, जिसमें गिरफ्तारी की अनिवार्य रिकॉर्डिंग और साक्ष्य एकत्र करना शामिल है। संभावित पुलिस ज्यादितयों के खिलाफ निवारक उपायों के रूप में कार्य करते हैं, कानूनी प्रक्रियाओं का पालन और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।
- मौलिक अधिकारों की सुरक्षा : कानून मौलिक अधिकारों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं, जिसमें स्वतंत्र रूप से भाषण देने और शांतिपूर्ण सभा का अधिकार भी शामिल है, जो असहमित के मनमाने दमन की चिंताओं को दूर करता है।









The new criminal laws are mere repackaging of existing draconian provisions.

TRUTH ~

The new laws enshrine the concept of justice embedded in our Constitution to improve the criminal justice system of the country. While the old laws were British legacies which were introduced by the colonial masters to enforce and strengthen their rule in India, the new laws are citizen centric, victim centric and sensitive to offences against women and children, introducing new offences, such as 'deshdroh', terrorist acts, mob lynchings, organised crimes, petty organised crimes, snatchings, etc.

♦ Repeal of sedition: The colonial legacy related to the sedition section in the IPC has been removed in the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) 2023. The repeal of erstwhile Section 124A (sedition) is a positive step, addressing concerns of misuse against dissenters and critics of the Government.

Gender-neutral provisions

◆ The new laws incorporate gender-neutral language, promoting inclusivity and equality in the legal framework.







मिथक 🗙

नए आपराधिक कानून, मौजूदा सख्त प्रावधानों की महज एक पुनपैर्केजिंग हैं।

सच 🗸

नए कानून हमारे संविधान में अंतर्निहित न्याय की अवधारणा के अनुरुप हैं, जिनका उददेश्य देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार लाना है। पुराने कानून ब्रिटेन की विरासत थे, जिन्हें औपनिवेशिक शासकों ने भारत में अपने राज को कायम करने और मजबूत करने के लिए लागू किया था। नए कानून नागरिक केंद्रित, पीड़ित केंद्रित और महिलाओं तथा बच्चों के खिलाफ अपराधों के प्रति संवेदनशील हैं, जिनमें 'देशद्रोह', आतंकवादी कृत्य, मॉब लिंचिंग, संगठित अपराध, छोटे संगठित अपराध, झपटमारी आदि नए अपराधों को शामिल किया गया है।

• राजद्रोह को निरस्त करनाः भारतीय दंड संहिता में राजद्रोह की धारा से संबंधित औपनिवेशिक विरासत को भारतीय न्याय संहिता संहिता 2023 में हटा दिया गया है। पूर्ववर्ती धारा 124ए (देशद्रोह) को निरस्त करना एक सकारात्मक कदम है, जो सरकार के असंतुष्टों और आलोचकों के खिलाफ दुरुपयोग की चिंताओं को संबोधित करता है।







- ◆ Mental health terminology: Replacing the term 'insanity', 'lunatic' and 'idiot' with 'unsound mind' and 'mental retardation' with 'intellectual disability' in the legal language demonstrates a more modern and sensitive approach to mental health.
- ◆ Time-bound prosecution for civil servants: Providing time-bound approval for prosecuting erring civil servants ensures a more efficient legal process, fostering accountability and preventing undue delays in addressing allegations of misconduct.
- ◆ Community service for criminal defamation: Shifting from imprisonment to community service for criminal defamation aligns with modern approaches to justice, emphasising rehabilitation and societal contribution over punitive measures.







- **लिंग-तटस्थ प्रावधानः** नए कानूनी ढांचे में समावेशिता और समानता को बढ़ावा देते हुए लिंग-तटस्थ भाषा को शामिल करता है।
- मानसिक स्वास्थ्य संबंधी शब्दावलीः 'पागलपन', 'उन्मादी', 'मूर्ख', 'विक्षिप्त मानसिकता', और 'मंदबुद्धि' जैसे शब्दों को 'बौद्धिक विकलांगता' से प्रतिस्थापित करना कानूनी भाषा में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति आधुनिक और संवेदनशील दृष्टिकोण को दर्शाता है।
- सिविल सेवकों के लिए समयबद्ध अभियोजनः भ्रष्ट सिविल सेवकों पर मुकदमा चलाने के लिए समयबद्ध मंजूरी प्रदान करना प्रभावी कानूनी प्रक्रिया सुनिश्चित करता है। यानी यह जवाबदेही को बढ़ावा देता है और कदाचार के आरोपों को संबोधित करने में अनुचित देरी को रोकता है।
- आपराधिक मानहानि के लिए सामुदायिक सेवाः आपराधिक मानहानि के लिए कारावास से सामुदायिक सेवा में स्थानांतरण न्याय के आधुनिक दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसमें दंडात्मक उपायों पर पुनर्वास और सामाजिक योगदान पर जोर दिया गया है।







MYTH ×

The extension of police custody from 15 to 90 days in the new criminal laws is a shocking provision that will enable police torture.

TRUTH <

Section 187 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) 2023 lays down the procedure when investigation is not completed within 24-hours.

The period of police custody is restricted to 15 days like before. Under BNSS, police custody may be taken in parts or in whole within a period of 40/60 days out of the total period of 60/90 days as applicable.







मिथक 🗶

नए आपराधिक कानूनों में पुलिस हिरासत की अवधि 15 से बढ़ाकर 90 दिन करना पुलिस को यातना देने वाला एक चौंकाने वाला प्रावधान है।

सच 🗸

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 187 ने 24 घंटे के भीतर जांच पूरी नहीं होने पर प्रक्रिया निर्धारित की है।

पुलिस हिरासत की अवधि पहले की तरह 15 दिन तक ही सीमित है। बीएनएसएस के तहत, लागू 60/90 दिनों की कुल अवधि में से 40/60 दिनों की अवधि के भीतर आंशिक या पूरी पुलिस हिरासत ली जा सकती है।







The court's discretion in granting police custody is retained as earlier.

Further, police custody beyond the first 15 days shall not be an impediment to grant bail to the accused, if he is otherwise eligible for bail.







पुलिस हिरासत देने में न्यायालय का विवेक पहले की तरह बरकरार रखा गया है।

इसके अलावा, अगर आरोपी जमानत का पात्र है तो पहले 15 दिनों से अधिक की पुलिस हिरासत आरोपी के जमानत में बाधा नहीं बनेगी।







MYTH ×

Sedition is gone, but appears as "Deshdroh" in Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) 2023.

TRUTH <

The colonial legacy related to the sedition section in the IPC has been removed in the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) 2023. The new laws enshrine the concept of justice embedded in our Constitution to improve the criminal justice system of the country. The old laws were British legacies which were introduced by the colonial masters to enforce and strengthen their colonial administration in India.

◆ Clarity in definitions (BNS Section 152): Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) 2023 brings clarity by explicitly defining "deshdroh" as actions endangering the "sovereignty, unity, and integrity of India." This replaces colonial-era language with terminologies more aligned with the democratic interests and identifies such acts as a crime against the country, not the Government.







मिथक 🗶

राजद्रोह चला गया, लेकिन यह भारतीय न्याय संहिता, 2023 में 'देशद्रोह' के रूप में दिखाई दिया।

सच 🗸

भारतीय दंड संहिता में राजद्रोह की धाराओं से संबंधित औपनिवेशिक विरासत को बीएनएस 2023 में हटा दिया गया है। नए कानून देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए हमारे संविधान में अंतर्निहित न्याय की अवधारणा को स्थापित करते हैं। पुराने कानून ब्रिटिश विरासत के थे। इन्हें औपनिवेशिक शासकों द्वारा देश में प्रशासन को लागू करने और मजबूत करने के लिए लागू किया गया था।

पटिभाषाओं में स्पष्टता (भारतीय न्याय संहिता, धारा 152): भारतीय न्याय संहिता 'भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता' को खतरे में डालने वाले कार्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करके स्पष्टता लाता है। यह औपनिवेशिक युग की भाषा को स्वतंत्र भारत के लोकतांत्रिक हितों के साथ अधिक संरेखित शब्दों से प्रतिस्थापित करता है।







- ◆ Expanding scope for comprehensive protection (BNS Section 152): Unlike IPC Section 124A, Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) 2023 Section 152 goes beyond criminalising expressions causing hatred towards the Government. It punishes acts such as armed rebellion, subversive activities, and separatist activities, thus providing a comprehensive approach to protect the nation's integrity.
- ◆ Inclusion of democratic values: Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) 2023 introduces the element of 'intent' in the definition of treason, allowing for a more nuanced understanding. This inclusion safeguards freedom of speech and expression by distinguishing between deliberate threats to the nation and genuine expressions of opinion.







- व्यापक सुरक्षा के दायरे का विस्तार (भारतीय न्याय संहिता, धारा 152)ः भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए के विपरीत, भारतीय न्याय संहिता, की धारा 152 सरकार के प्रति नफरत पैदा करने वाली अभिव्यक्तियों को अपराधीकरण करने से परे है। इसमें देश की अखंडता की रक्षा पर खतरा पैदा करने वाले सशस्त्र विद्रोह, विनाशकारी गतिविधियां और अलगाववादी गतिविधियों के लिए सजा का प्रावधान है।
- लोकतांत्रिक मूल्यों का समावेशः भारतीय न्याय संहिता 2023 देशद्रोह की परिभाषा में 'इरादे' के तत्व का परिचय देता है। यानी इससे अधिक सूक्ष्म समझ की अनुमित मिलती है। यह समावेश राष्ट्र के लिए जानबूझकर किए गए खतरों और विचारों की वास्तविक अभिव्यक्ति के बीच अंतर करके भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है।







MYTH ×

Harsh punishment of 10 years of imprisonment with ₹10 lakh fine in hit-and-run cases under the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS)2023.

TRUTH ~

To enhance road safety and justice for victims, the new laws introduces intensified penalties to curb the rising incidents of hit-and-run accidents under section 106(1), 106(2) of the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) 2023.

The law provides gradation of punishment in hit and run cases. The amount of fine being ₹10 lakh is completely false. The enhanced punishment of 10 years is for those who escapes without reporting the hit-and-run case. The offence is still bailable, triable by the Magistrate Court under section 106(1).

The Ministry of Home Affairs, Government of India, has taken note of the concerns raised by truckers regarding the provision of 10 years imprisonment and fines under Section 106 (2) of the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) 2023.

Following detailed discussions with representatives of the All India Motor Transport Congress, it has been clarified that these new laws and provisions have not been implemented yet. The decision to invoke Section 106(2) will only be taken after consultation with the All India Motor Transport Congress.





मिथक 🗶

भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत हिट-एंड-रन मामलों में 10 साल की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान

सच 🗸

पीड़ितों को न्याय दिलाने और सड़क सुरक्षा के लिए, नए कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 106(1), 106(2) के तहत हिट-एंड-रन दुर्घटनाओं की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए कठोर दंड का प्रावधान।

कानून हिट एंड रन मामलों में क्रमबद्ध तरीके से सजा का प्रावधान करता है। जुर्माने की राशि 10 लाख रुपये होना पूरी तरह से गलत है। 10 साल की बढ़ी हुई सजा उन लोगों के लिए है जो हिट-एंड-रन मामले की रिपोर्ट किए बिना भाग जाते हैं। अपराध अभी भी जमानती है, धारा 106(1) के तहत मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा मुकदमा चलाया जा सकता है।


भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 106 (2) के तहत 10 साल की कैद और जुमार्ने के प्रावधान के संबंध में ट्रक ड्राइवरों द्वारा उठाई गई चिंताओं पर ध्यान दिया है।

ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा के बाद यह स्पष्ट किया गया है कि ये नए कानून और प्रावधान अभी लागू नहीं किए गए हैं। धारा 106 (2) को लागू करने का निर्णय ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के परामर्श के बाद ही लिया जाएगा।









Investigation & Trial Framework in Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023







मारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ में समय सीमा के तहत जाँच और ट्रायल फ्रेमवर्क





Transformative Judicial Reforms

Key Features

1. Overview:

♦BNSS introduces a comprehensive timeline for every stage of criminal proceedings, creating a structured framework for legal processes.

2. FIR Registration:

♦FIR to be recorded within three days for complaints submitted through electronic communication, expediting the initial phase of criminal cases.

3. Medical Examination Reports:

♦ Medical examination reports of rape victims to be forwarded within seven days to the investigating officer, ensuring timely collection of crucial evidence.

4. Victim/Informant Updates:

Regular updates to victims/informants about status of investigation within 90 days, fostering transparency and keeping stakeholders informed.

5. Framing Charges:

◆Competent magistrates required to frame charges within 60 days from first hearing on charge.







परिवर्तनकारी न्यायिक सुधार

समयसीमा कार्रवाई की प्रमुख विशेषताएं:

१.अवलोकनः

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने क्रिमिनल प्रक्रिया के हर चरण के लिए एक संरचित फ्रेमवर्क बनाते हुए एक संपूर्ण समय सीमा प्रस्तुत की है।

२.एफआईआर पंजीकरणः

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से की गई शिकायतों के लिए एफआईआर को तीन दिन के भीतर दर्ज किया जाएगा, जो की क्रिमिनल मामलों की जाँच को गति देगा।

3.चिकित्सा जांच रिपोर्टः

बलात्कार पीड़िता के लिए चिकित्सा जांच रिपोर्ट को जांच अधिकारी द्वारा सात दिनों के भीतर आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे समय पर महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाया जा सके।

४.पीड़ित / सूचनाकर्ताको अपडेटः

जांच की स्थिति के बारे में पीड़ितों / सूचनाकर्ता को 90 दिन के भीतर नियमित अपडेट सुनिश्चित करते हैं, जो की पारदर्शिता को सुनिश्चित करते है।

५.आरोप /चार्ज फ्रेमिंगः

सक्षम मजिस्ट्रेट्स के लिए आवश्यक है कि वो आरोप पर पहली सुवनाई के 60 दिनों के अंदर आरोप तय करें।







6. Trial in Absentia:

◆Courts empowered to initiate trial in absentia against proclaimed offenders after 90 days from charge framing, expediting proceedings and ensuring timely delivery of justice to victims and society.

7. Judgment Pronouncement:

◆Criminal court to pronounce judgments within 45 days post the trial's conclusion, ensuring a prompt legal resolution.

8. Uploading of Judgment:

◆Criminal court to upload judgment within seven days from the date of pronouncement on their portal, providing easy access to litigants.

Benefits of Timeline Implementation

Swift Justice:

◆Expedited criminal proceedings ensure timely resolution, reducing the burden on the legal system.

Transparency:

◆Regular updates to victims and stakeholders foster a transparent legal process, promoting public trust.

Efficiency:

♦ Streamlined timelines enhance the efficiency of legal proceedings, minimising delays.





६.ट्रायल इन एबर्सेटियाः

अदालतों को आरोप तय होने के 90 दिनों के बाद घोषित अपराधियों के खिलाफ उनकी अनुपस्थिति में मुकदमा शुरू करने, कार्यवाही में तेजी लाने और पीड़िता को समय पर न्याय सुनिश्चित करने का अधिकार दिया गया।

७.निर्णय / फैसला घोषणाः

अपराधिक न्यायालय को अदालत में ट्रायल समापन के 45 दिनों के भीतर निर्णय घोषित करना सुनिश्चित करता है।

८.जजमेंट की कॉपी अपलोड करना:

आपराधिक न्यायालय को फैसले की तारीख से सात दिनों के भीतर अपने पोर्टल पर जजमेंट की कॉपी अपलोड करना होगा, जिससे वादियों को आसानी से कॉपी मिल सके।

समय सीमा कार्रवाई के लाभ

त्वरित न्यायः

न्यायिक प्रक्रियाएं का समय समाप्त होने से , कानूनी प्रणाली पर बोझ कम होता है ।

पारदर्शिताः

पीड़ितों और हितधारिताओं को नियामकों की स्थिति के बारे में नियमित अपडेट, सार्वजनिक विश्वास को बढ़ावा देते हैं।


कुशलताः

संघटित समयसीमा कार्रवाई कानूनी प्रक्रियाओं की दक्षता बढ़ाती है जो कि देरी को कम करती है।



















The legal framework against Human Trafficking is strengthened by the New Criminal Laws

- BNS 2023 has a victim-centric approach to women and child trafficking.
- Newly-introduced offence of organised crime in BNS 2023, includes trafficking of a person, and human trafficking for prostitution or ransom, and provides stringent punishment.
- The act of buying a child for prostitution has been dealt with enhanced punishment with mandatory minimum punishment of 7 years extendable to 14 years.
- The offence of importation of persons from foreign country is made gender-neutral. It covers the importation of both boys under 18 years and girls under 21 years for the purpose of forced or seduced sexual exploitation.
- Beggary has been added in the expression 'exploitation' for the purpose of human trafficking.
- BNS prescribes enhanced punishment for a person indulging in habitual human trafficking.







नए आपराधिक कानूनों से मानव तस्करी के विरूद्ध कानूनी ढांचा मजबूत हुआ है

- बीएनएस 2023 में महिलाओं और बाल तस्करी के लिए पीड़ित-केंद्रित दृष्टिकोण है।
- बीएनएस 2023 के तहत संगठित अपराध में नए शामिल किए गए अपराधों में किसी व्यक्ति की तस्करी, और वेश्यावृत्ति या फिरौती के लिए मानव तस्करी शामिल है, और कड़ी सजा का प्रावधान है।
- वेश्यावृत्ति के लिए बच्चे को खरीदने के मामले में बढ़ी हुई सजा का प्रावधान किया गया है जिसमें
 न्यूनतम 7 साल की अनिवार्य सजा है जिसे 14 साल तक बढ़ाया जा सकता है।
- विदेश से व्यक्तियों के आयात के अपराध को लिंग-तटस्थ बनाया गया है। इसमें जबरन या बहकावे से यौन शोषण के उद्देश्य से अठारह वर्ष से कम उम्र के लड़कों और इक्कीस वर्ष से कम उम्र की लड़कियों दोनों के आयात को शामिल किया गया है।
- मानव तस्करी के उद्देश्य से 'शोषण' अभिव्यक्ति में भिक्षावृत्ति को जोड़ा गया है।
- बीएनएस में आदतन मानव तस्करी में लिप्त व्यक्ति के लिए बढ़ी हुई सजा का प्रावधान किया गया है।



















- ♦ Empathy for first-time Offenders: Justice with Compassion
- Both Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) and Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) 2023 introduce a paradigm shift in the treatment of first-time offenders, emphasising rehabilitation and compassion in the pursuit of justice. In BNSS, reduced minimum punishment in plea-bargaining for first-time offenders and liberalised and relaxed bail for first time undertrials acknowledges that mistakes can be learning opportunities, especially for those entering the justice system for the first time. The legal framework under BNS aims to balance accountability with an empathetic approach towards individuals with no prior criminal history, for instance 'petty theft' which is made punishable with community service.

♦ Rehabilitation over Retribution

■ The new laws aim to provide first-time offenders with alternatives to punitive measures, thereby focusing on





पहली बार के अपराधी के प्रति तरसः करुणा के साथ न्याय

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 कानून में पहली बार के अपराधियों के बारे में बदलाव किया गया है, जिसमें न्याय के लिए पुनर्वास और करुणा पर जोर दिया गया है। बीएनएसएस में पहली बार के अपराधियों के लिए न्यूनतम सजा कम की गई और पहली बार के विचाराधीन कैदियों के लिए उदार जमानत स्वीकार की गई है कि जिसमें गलितयां को सुधारने का अवसर दिया गया है। छोटी चोरी जैसे छोटे अपराधों के लिए बीएनएस 2023 के तहत बिना किसी पूर्व आपराधिक इतिहास वाले व्यक्तियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण रखा गया है, जिसके तहत दंड के रूप में सामूदायिक सेवा करवाया जाएगा।

प्रतिशोध के बदले पुनर्वास

- नए कानूनों का लक्ष्य पहली बार अपराध करने वालों को दंडात्मक उपायों के विकल्प
 प्रदान करना है जिसमें पुनर्वास और समाज में पुन: एकीकरण पर ध्यान केंद्रित करना है।
- नए आपराधिक कानून एक ऐसे भविष्य की कल्पना करते हैं जहां छिटपुट गलितयों को
 सकारात्मक बदलाव के अवसर के रूप में पहचाना जाएगा।







rehabilitation and reintegration into society.

■ The new criminal laws envision a future where isolated mistakes are recognised as opportunities for positive change.

♦ Provisions for First-Time Offenders: A Legal Milestone

Multiple considerations have been introduced through several sections for first-time offenders including:

- Introducing non-custodial punishment such as community service, and counselling for eligible individuals, fostering personal growth and societal reintegration through the legal framework.
- First-time offenders are to be given relaxed punishment (one-fourth and one-sixth of stipulated punishment) in plea bargaining.
- First time under-trial offender is given statutory bail after completion of one-third period of the maximum punishment prescribed.









पहली बार के अपराधियों के लिए प्रावधानः एक कानूनी मील का पत्थर

पहली बार के अपराधियों के लिए कई धाराओं के माध्यम से कई विचार पेश किए गए हैं, जिनमें शामिल हैं:

- सामुदायिक सेवा और परामर्श जैसी सजाओं का प्रावधान किया गया है जिसमें ऐसे अपराधियों को जेल न भेजा जाए और कानूनी प्रावधान के तहत व्यक्तिगत विकास और सामाजिक पुर्नएकीकरण को बढ़ावा देना।
- पहली बार अपराध करने वालों को प्ली बार्गेनिंग में कम सजा (ऐसी सजा का एक-चौथाई
 और छटा हिस्सा) दी जाएगी।
- पहली बार विचाराधीन कैदी को निर्धारित अधिकतम सजा की एक तिहाई अविध पूरी होने
 के बाद जमानत देने का प्रावधान।











Upholding freedom of speech and expression, ensuring unity & integrity of the nation: A balanced approach to treason laws

♦A paradigm shift in treason laws

■ The Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), 2023 marks a significant transformation in treason laws with Section 152 specifically targeting actions that threaten the sovereignty, unity, and integrity of India.

♦124A IPC (erstwhile law) versus Section 152 BNS (new law): 'Rajdroh' vs 'Deshdroh'

■ There is a notable distinction between IPC Section 124A and BNS Section 152. While IPC Section 124A deals with acts "against the Government," BNS Section 152 shifts the focus to actions endangering the "sovereignty, unity, and integrity of India." Colonial interests replaced by needs of the democratic interests in Swatantra Bharat (Independent India).





बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कायम रखना, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करनाः देशद्रोह काूननों में एक संतुलित दृष्टिकोण

- राजद्रोह कानूनों में एक आदर्श बदलावः भारतीय न्याय संहिता, 2023 धारा 152 के साथ देशद्रोह कानूनों के परिदृश्य को फिर से परिभाषित करती है, जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्यों पर केंद्रित है।
- 124ए भारतीय दंड संहिता बनाम १५२ भारतीय न्याय संहिताः राजद्रोह बनाम देशद्रोह
- भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए 'सरकार के खिलाफ' कृत्यों को संबोधित करती है, जबिक भारतीय न्याय संहिता धारा 152 'भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता' को खतरे में डालने वाले कार्यों पर केंद्रित है। स्वतंत्र भारत के लोकतांत्रिक हितों ने औपनिवेशिक हितों की जगह ले ली है।
- भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए के मुताबिक सरकार के प्रति नफरत या अवमानना पैदा करने वाली अभिव्यक्ति अपराध में शामिल थी। लेकिन भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) धारा 152 सशस्त्र विद्रोह, विनाशकारी गतिविधियों, और अलगावादी गतिविधियों के लिए सजा देने का प्रावधान करती है जो भारत की अखंडता को प्रत्यक्ष रूप से खतरा पहुंचाने वाली दिखती है।







Under IPC Section 124A, expressions that caused hatred or contempt towards the Government were criminalised. However, BNS Section 152 punishes actions such as armed rebellion, destructive activities, and separatist activities, which are seen as direct threats to the integrity on india.

♦ A shield for freedom of speech and expression

■ Criticism of the Government policies and actions are not punished under the new law. The requirement of 'intent' in law further raises the threshold for applicability of the provision.

♦Balancing expression and protection

■ The BNS 2023 strikes a balance by ensuring penal action against those whose activities threaten the nation, while also safeguarding the right to express opinions without the fear of prosecution. This balance is crucial in maintaining a democratic society.







बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का कवच

– नए कानून के तहत सरकारी नीतियों और कार्यों की आलोचना पर दंड का प्रावधान नहीं है। कानून में 'इरादें'की आवश्यकता को जोड़ा गया है जिससे प्रावधान की सीमा और विस्तृत हो गई है।

अभिव्यक्ति और संरक्षा के बीच संतुलन

- बीएनएस 2023 में सजा के भय के बगैर विचारों को व्यक्त करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए उन गतिविधियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाईयों को सुनिश्चित किया गया है जो राष्ट्र के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं। यह संतुलन लोकतांत्रिक समाज को बरकरार रखने के लिए अहम है।









COMMUNITY SERVICE











Building bonds: Justice through harmonising communities

♦Introduction of Community Service

The introduction of community service for minor offences marks a groundbreaking approach in India's legal system. This involves the completion of unpaid work within a given timeframe as a form of reparative sanction, which correlates the nature of the service to the offence committed. It fosters a sense of responsibility in the offender and lightens the load on the prison system, in line with the concepts of resocialisation and restorative justice.

Community service can be awarded for the benefit of various groups in need, including children, the elderly, people with disabilities, and language learners. Additionally, it can be used to provide help to animals in shelters or can contribute to the improvement of public places such as local parks, historic sites, scenic areas, and more.







समुदायों की सेवा करनाः सामुदायिक सद्भाव के माध्यम से न्याय

सामुदायिक सेवा का परिचय

भारतीय कानून प्रणाली में छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा की शुरूआत एक क्रांतिकारी कदम है। सामुदायिक सेवा में एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर अवैतनिक कार्य का निष्पादन शामिल होता है, जो एक क्षतिपूर्ति मंजूरी के रूप में होता है। यह सेवा की प्रकृति को स्वीकृत किए जाने वाले अपराध से जोड़ता है। यह अपराधी को उनके कार्यों के लिए जिम्मेदारी प्रदान करता है और कारावास की व्यवस्था पर बोझ को कम करता है, जो पुनर्समाजीकरण और पुनर्स्थापनात्मक न्याय के दर्शन के अनुरूप है।

सामुदायिक सेवा जरूरतमंद लोगों के विभिन्न समूह की मदद कर सकती है। मसलन, बच्चे, विरष्ट नागरिक, विकलांग लोग, भाषा सीखने वाले आदि। यह आश्रय स्थलों पर जानवरों की भी मदद कर सकती है। इसका उपयोग स्थानीय पार्क, ऐतिहासिक इमारतें, दर्शनीय क्षेत्र आदि स्थानों को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है।







Community service for offences under the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) 2023

- ♦Involvement of public servants in illegal trade
- ♦Non-appearance in response to a proclamation
- ◆Attempt to commit suicide to influence legal authority
- ◆First conviction of petty theft involving property valued below ₹5,000.
- ♦Public misconduct by a drunken person
- **♦**Defamation








भारतीय न्याय संहिता के अनुसार अपराध सामुदायिक सेवा के पात्र

- 1. अवैध व्यापार में लोक सेवकों की संलिप्तता
- 2 . उद्घोषणा के जवाब में उपस्थित न होना
- 3. वैध शक्ति के प्रयोग को मजबूर करने या रोकने के लिए आत्महत्या करने का प्रयास
- 4 . 5,000 रुपये से कम के अपराध के लिए संपत्ति की चोरी की पहली सजा
- 5. शराबी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान पर दुराचार
- 6. मानहानि



















Legal Provisions concerning Acid Attacks in New Criminal Laws

- Punishment with imprisonment of either description for a term which shall not be less than 10 years but which may extend to imprisonment for life, and with fine.
- Attempts to throw acid or attempts to administer, or attempts to use any other means, with an intention to harm any person shall be punished for not less than 5 years but which may extend to 7 years and also liable for fine.
- "Acid" includes any substance which has acidic or corrosive character or burning nature, that is capable of causing bodily injury.







नए आपराधिक कानूनों में एसिड हमलों से संबंधित कानूनी प्रावधान

- किसी भी अविध के लिए कारावास की सजा 10 वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन उसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
- किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के इरादे से एसिड फेंकने का प्रयास या प्रशासित करने का प्रयास, या किसी अन्य साधन का उपयोग करने का प्रयास करने पर कम से कम 5 साल की सजा होगी, जिसे 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
- 'एसिड' में कोई भी पदार्थ शामिल है जिसमें अम्लीय या क्षयकारी या जलने की प्रकृति होती है, जो शारीरिक चोट पहुंचाने में सक्षम है।

